

न्यायालय श्रीमान सिविल जज प्र०ख०कक्ष सं०१५ महोदय सुलतानपुर।

3/2

OS-729/20

श्रीमती गीता उम्र करीब 50 साल पत्नी सियाराम निवासी ग्राम हीरापुर परगना आसल तहसील व जिला अमेठी .....वादिनी

बनाम

- 1 किशनलाल उम्र करीब 27 साल सुत राम भवन
- 2 कन्हैयालाल उम्र करीब 22 साल सुत राम भवन
- 3 सियाराम आयु करीब 52 साल सुत बिहारी लाल सकिनान हीरापुर परगना आसल तहसील व जिला अमेठी

.....प्रतिवादिनी गण

वाद संख्या /2020

दायरा तिथि

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

वादिनी निम्नवत विनयी है:

धारा 1 यह कि वादिनी ग्राम हीरापुर परगना आसल तहसील व जिला अमेठी की मूल निवासी है तथा मौजा हाजा में वादिनी की समस्त चल व अचल सम्पत्ति स्थित है।

धारा 2 यह कि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी संलग्न की जा रही है जिसमें विवादित भूमि को अक्षर अ ब स द बरंग सुर्ख लाल से प्रदर्शित

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय, प्र०ख० कक्ष सं०१५ सुलतानपुर।  
गीता बनाम किशनलाल आदि सा०वाद संख्या /20 ता०पे०

किया जा रहा है जिसमें सभी चीजे यथास्थान दर्शित किया गया है जो कि वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3 यह कि प्रदर्शित आराजी अक्षर अ ब स द विवादित भूमि 'वादिनी के पति सियाराम को जरिए इकरारनामा प्राप्त हुई आराजी है, जिसे दिनांक 10/6/2000 को गांव के ही देव नरायन उर्फ पहाडी सुत बट्टी प्रसाद निवासी ग्राम हीरापुर परगना आसल तहसील व जिला अमेठी हालपता ग्राम घटकौर परगना व तहसील व जिला अमेठी से प्राप्त हुई आराजी है तब से वादिनी के अपने पति प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 3 के साथ काबिज व दखील चले आ रहे है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई वास्ता सरोकार न तो पहले कभी था न आज ही है विवादित आराजी की लम्बाई उत्तर दक्षिण 45 फिट व पूरब पश्चिम 21 फिट है।

धारा 4 यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने विस्तारवादी नीति के कारण वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 की उपरोक्त आराजी को जबरदस्ती बिना हक व अधिकार के कब्जा कर लेने के फिराक में येन केन प्रकारेण लगे हुए है।

धारा 5 यह कि दिनांक 19/7/2020 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 समय करीब 8 बजे दिन में विवादित आराजी उपरोक्त पर कुछ मजदूरों को लेकर आए तथा विवादित आराजी पर खन खोद करते हुए नाप जोख करने लगे जिस पर वादिनी ने आपत्ति किया तो उपरोक्त लोग आमादा फौजदारी हो गए गांव वालो के बीच बचाव करने पर किसी तरह माने किन्तु जाते जाते एलानिया धमकी दिया कि निकट भविष्य में उपरोक्त आराजी निजायी पर कब्जा करके नव निर्माण कर लेगे तथा छप्पर को उजाड देगे व हौदिया तोड देगे तथा वादिनी को बेदखल कर देगे।

धारा 6 यह कि वादिनी के पति प्रतिवादी संख्या 3 बसिलसिलें रोजगार मुम्बई में रहते है जिसकी वजह से वर्तमान में मुकदमें में उपस्थित नही हो पा रहे है चूंकि दावा उनके हित में है लिहाजा उन्हें प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में स्थापित किया जा रहा है विवादित आराजी पर जो

हक व अधिकार वादिनी का है वही हक व अधिकार प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 3 का भी है।

धारा 7 यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बेरून अदालत किसी भी प्रकार से आपसी तफसिया करने को तैयार नहीं है।

धारा 8 यह कि वाद का मूल कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दी जाने वाली धमकी कर देने बेदखल वादिनी खोद लेने नीव कर लेने नव निर्माण बदल देने नवइयत दिनांक 19/7/2020 को न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ जिसकी सुनवायी का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

धारा 9 यह कि मालियत दावा हाजा बगरज समात अदालत हाजा विवादित आराजी की वेशकीमती जमीन है जिसमें वादिनी के हौदिया छप्पर पोश बैठका व दरख्तान आदि स्थित है जिसकी मालियत छः लाख रुपए कायम की जाती है चूंकि दावा हुकुम इम्तिनाई दवामी का है इसलिए अधिकतम न्यायशुल्क मुवलिग 500 रुपए वास्ते सुनवायी अदा की जा रही है।

### याचना

अ: डिकी हुकुम इम्तिनाई दवामी वहक वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सदा सर्वदा के लिए मना कर दिया जावे कि विवादित आराजी में किसी प्रकार से नवनिर्माण न करें न ही नीव खोदे न ही वादिनी व उसके पति प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 3 को उसके कब्जा व दखल से हटावे तथा न ही मौके की नवइयत बदले न ही वादिनी के छप्पर को हटावे न ही जानवरान की हौदिया हटावे न ही ऐसा कोई भी काम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 करें जिससे वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में किसी भी प्रकार से बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न होवे।

(ब) खरचा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से दिलायी जावे।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय, प्रोख 0 कक्ष सं 015 सुलतानपुर।  
गीता बनाम किशनलाल आदि सं 001/20 ता 001/001

रुमा

(स) अन्य याचना जो जरिए अदालत वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 को विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिल सकती हो प्रदान की जावे।

सराहत जायदाद निजायी स्थित ग्राम हीरापुर परगना आसल तहसील व जिला अमेठी मुन्दर्जे नक्शा नजरी बरंग सुर्ख अक्षर अ ब स द लम्बाई उत्तर दक्षिण 45 फिट व पूरब पश्चिम 21 फिट नक्शा नजरी जुजो अर्जी दावा।



प्रार्थिनी

श्रीमती गीता

.....वादिनी

दिनांक

मै वादिनी स्वयं तस्दीक करती हूँ कि वादपत्र की धारा 1 ता 09 मेरी निजी जानकारी में सही है इसमें न कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है तथा याचना के सत्य होने का विश्वास करती हूँ ईश्वर मेरी मदद करें तश्दीक स्थान अहाता कचेहरी परिसर, जनपद सुलतानपुर।



107/370  
 21/7/2020

दिनांक: 21/7/2020

द्वारा

अधिवक्ता

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय, प्रो. ए. ए. कक्ष सं. 15 सुलतानपुर।  
 गीता बंनार किशनलाल आदि सा. 0 वा. 3 संख्या / 20 ता. 0 पेशी

मालक श्रीमान श्री ००० [२०२०] कोट नं १५ मधेवय, सुल्तानपूर

२०/६


फ्रीसठी गीरा वादेनी

जानाम


श्रीमान लाल ठांगदे चारुयेवादेवाथ

२००० वाठ ००० १२०  
००० ००००

पक्या गजारी



जानाम



श्रीमान लाल ठांगदे चारुयेवादेवाथ  
 २००० वाठ ००० १२०  
 ००० ००००



*[Signature]*

वादेनी / प्रतियेवती

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं0-15  
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- 729/2020

श्रीमती गीता बनाम. किशनलाल

दिनांक

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ ।  
अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो । वाद दिनांक 21/08/2020 को  
वास्ते बयान तहरीरी एवं दिनांक 22/08/2020 को वास्ते बिरचित किये जाने  
वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे ।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),  
कक्ष सं0-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इस्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2  
जा0दी0 ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 प्रस्तुत किया  
गया ।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-729/2020  
श्रीमती गीता-----बनाम-----किशन लाल आदि।

दिनांक- 21.07.2020 ✓

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिनी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र को इकरारनामे द्वारा प्राप्त होना एवं उस पर काबिज दाखिल होना कहा है। वादी द्वारा स्वत्व से संबंधित कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। अतः ऐसे में मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 21.08.2020 को पेश हो।

  
21.07.2020

(संदीप कुमार)


सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15  
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

  
21.07.2020

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15  
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज (प्र० ख०)– कक्ष संख्या–15, सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–729/2020  
श्रीगती गीता-----वनाग-----किशन लाल।

दिनांक–22.07.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.07.2020 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 जा० दी० वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी वाद उपरोक्त नहीं लड़ना चाहती है क्योंकि वाद उपरोक्त में प्रारूपिक त्रुटि आ गयी है। जिससे वाद का चलना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में वाद उपरोक्त के उठाने की अनुमति इस प्रकार दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि भविष्य में पुनः वाद दायर किया जा सके।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त वाद प्रस्तुत करते समय कुछ प्रारूपिक त्रुटि होने के कारण वादी मुकदमा वाद वापस लेना चाहता है, आधार पर्याप्त है। अतः ऐसे में प्रार्थना पत्र वादिनी स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.07.2020 स्वीकार किया जाता है। वादिनी को पुनः वाद संस्थित करने की अनुमति के साथ दावा उठाने की अनुमति दिया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार वाद वापस कर पत्रावली दाखिल दफतर करे।

संदीप कुमार  
22.07.2020

22.07.2020

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष संख्या–15,  
सुलतानपुर।

भारतीय कोर्ट फी



भारत  
500 रु.  
पाँच  
सौ रुपये



INDIA  
Rs.500  
FIVE  
HUNDRED  
RUPEES

INDIA COURT FEE

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

OS- 950/20 <sup>550477</sup>

*[Signature]*  
Civil Judge (S) Sultanpur

श्रीमान् श्रीमान् ए. ज. (प्रवर्षण) C.M. 15 सुमान्

श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् लाल श्रीमान्

O.S. No - 120  
दिया दिनांक - 26-8-20

950  
2020

*[Signature]*  
Jhansi District Court

श्रीमान् श्रीमान्  
श्रीमान् श्रीमान्  
दिया दिनांक - 26-8-20

O.S. No - 120  
दिया दिनांक - 26-8-20

*[Signature]*

न्यायालय श्रीमान सिविल जज प्र0ख0कक्ष सं015 महोदय सुलतानपुर।

321/2

श्रीमती गीता उम्र करीब 45 साल पत्नी सियाराम निवासी ग्राम हीरापुर पोस्ट धम्मौर परगना आसल तहसील व जिला अमेठी .....वादिनी

बनाम

1 किशनलाल उम्र करीब 22 साल सुत राम भवन साकिन हीरापुर पोस्ट धम्मौर परगना आसल तहसील व जिला अमेठी..... प्रतिवादी

2 सियाराम आयु करीब 50 साल सुत बिहारी लाल साकिन हीरापुर परगना आसल तहसील व जिला अमेठी...प्रोफार्मा प्रतिवादी

.....प्रतिवादी गण

वाद संख्या /2020

दायरा तिथि - 26-8-20  
21

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

वादिनी निम्नवत विनयी है:

धारा 1 यह कि वादिनी ग्राम हीरापुर पोस्ट धम्मौर परगना आसल तहसील व जिला अमेठी में जमीन्दारी विनाश के पूर्व से आज तक पीढी दर पीढी निवास करती चली आ रही है इसी गांव में वादिनी का घर खेत खलिहान दरख्तान आदि सब स्थित है।

Pr. S. M. A. D.

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय, प्र0ख0 कक्ष सं015 सुलतानपुर।  
गीता बनाम किशनलाल आदि सा0वाद संख्या /20 ता0पेची

धारा 2 यह कि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी संलग्न की जा रही है जिसमें विवादित भूमि को अक्षर-अ ब स द बरंग सुख लाल से प्रदर्शित किया जा रहा है जिसमें सभी चीजे यथास्थान दर्शित किया गया है जो कि वाद पत्र का अभिन्न अंग है। उक्त मुकदमें में निजा जायदाद बरंग सुख की है अन्य दीगर जायदाद से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है।

धारा 3 यह कि विवादित आराजी वादिनी व प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 के मकान व आबादी की भूमि है जो बशकल हाता के रूप में स्थित है। उक्त विवादित आराजी मकान नम्बर <sup>31</sup>37 स्थित जमीन ग्राम हीरापुर परगना आसल तहसील व जिला अमेठी का जुज भाग है उक्त विवादित आराजी में मड़हा, हौदी आदि स्थित है उक्त विवादित आराजी में वादिनी व उसके परिवार के लोग निवास करते हैं उठते बैठते हैं तथा उक्त विवादित आराजी वादिनी के रहाइश का जुज भाग है। उक्त विवादित आराजी गांव के पुरानी व पुश्तैनी आबादी में स्थित है। उक्त विवादित आराजी से सटे अहाता वादिनी स्थित है जिसमें अज किस्में चार पेड़ नीम एक पेड़ सफेदा दो पेड़ अमरुद एक हैण्डपम्प आदि जमीन्दारी विनाश के पूर्व से स्थित है।

धारा 4 यह कि उक्त विवादित आराजी की लम्बाई उत्तर-दक्षिण 51फिट व चौड़ाई पूरब-पश्चिम 27फिट स्थित है उक्त विवादित आराजी की चौहद्दी पूरब-अहाता वादिनी व प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 वादहू मकान महात्मा प्रसाद तिवारी, पश्चिम-मकान वादिनी व प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 वादहू इण्टरलॉकिंग मार्ग, उत्तर-कच्चा रास्ता वादिनी वादहू मकान शोभनाथ यादव, दक्षिण-खाली जमीन वादहू मकान प्रतिवादी संख्या 1 स्थित है।

धारा 5 यह कि वादिनी का पुश्तैनी मकान बुजुर्गों के जमाने से स्थित है जिसका मकान नम्बर <sup>31</sup>37 है, विवादित भूमि वादिनी के मकान की सेहन की भूमि है, जिसका उपयोग उपभोग वादिनी द्वारा निकास पैठार उठना बैठना, उपली कण्डा पाथना, पैरा पुआल रखना, आदि के लिए तथा

*B.S.R.*

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय, प्रो. 200 कक्षा सं 015 सुलतानपुर।  
गीता बनाम किशनलाल आदि सा/वाद संख्या / 20 ता 09/09

समय समय पर खेती के उपज की रख रखाव करने के लिए जमीन्दारी विनाश के पूर्व से आज तक बिना किसी रोक टोक के करती चली आ रही है। वादिनी उक्त विवादित भूमि पर पूर्वजों के जमाने से काबिज दखील रहकर उपयोग उपभोग कर रही है। उक्त वाद में इसी भूमि का विवाद है।

धारा 6 यह कि उक्त विवादित आराजी वादिनी व प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 की है वादिनी व प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 उक्त विवादित आराजी के स्वामी व काबिज दखील है। प्रतिवादी संख्या 1 से आराजी निजायी से कोई वास्ता सरोकार पूर्व में न तो था न आज ही है न ही एक पल के लिए प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा व दखल ही है।

धारा 7 यह कि प्रतिवादी संख्या 1 का मकान विवादित आराजी के दक्षिण स्थित है इनका निकास पैठार व सेहन जानिब पश्चिम इण्टर लॉकिंग मार्ग से होकर है विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई वास्ता सरोकार नहीं है न ही विवादित आराजी से होकर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई रास्ता ही है।—

धारा 8 यह कि वादिनी व प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 के हक में या किसी अन्य व्यक्ति के हक में किसी भी प्रकार से स्थानान्तरण जंरिए बैनामा या हिबानामा या वसीयतनामा के माध्यम से नहीं किया है।

धारा 9 यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवार वाले धन बल में काफी सरहंग व दबंग किस्म के लोग है प्रतिवादी संख्या 1 का क्षेत्रीय राजनीतिक व्यक्तियों से अच्छे सम्बन्ध है जिसका नाजायज लाभ लेकर प्रतिवादी संख्या 1 आए दिन जबरदस्ती विवादित आराजी पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते है लेकिन वे अब तक सफल नहीं हुए किन्तु आए दिन जबरदस्ती कब्जा करने के फिराक में लगे रहते है।

R.S.K.

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय, प्रो. 50 कदा सं 015 सुलतानपुर।  
गीता बनाम किशनलाल आदि सा0वाद संख्या / 20 ता 01/01/01

धारा 10 यह कि दिनांक 18/8/2020 को लॉक डाउन के समय प्रतिवादी संख्या 1 अपने मेलीमददगारों के साथ विवादित आराजी पर आए तथा विवादित आराजी में नाप जोख करते हुए खन, खोद करने लगे जिस पर वादिनी ने विरोध किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व उसके मेलीमददगार आमादा फौजदारी हो गए वादिनी ने गांव वालों व सम्भ्रान्त व्यक्तियों को बुलाकर किसी तरह परंपचायत करके उस समय तो मामला शान्त किया। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 जाते जाते यह धमकी दिया कि इसी लॉक डाउन के अन्दर ही वादिनी के विवादित आराजी पर कब्जा करके नव निर्माण कर लेगा तथा वादिनी को आराजी निजायी से बेदखल कर देगा। आराजी निजायी में स्थित दरख्तानों को काट लेगा, की धमकी देते हुए चले गए। जब कि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है।

धारा 11 यह कि उक्त विवादित आराजी मकान नम्बर <sup>31</sup>/~~37~~ स्थित ग्राम-हीरापुर परगना आसल तहसील व जिला अमेठी परिवार रजिस्टर में, वादिनी का नाम क्रम संख्या 2 पर तथा प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम क्रम संख्या 1 पर दर्ज है।

धारा 12 यह कि वादिनी अपने बच्चों के साथ घर पर रहती है वादिनी के पति बसिलसिलें रोजगार बाहर रहते हैं चूंकि दावा उनके हित में निहित है लिहाजा उन्हें प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में बनाया जा रहा है।

धारा 13 यह कि बैरून अदालत प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी प्रकार से आपसी तफसिया करने को तैयार नहीं है लिहाजा दावा हाजा दायर करने की आवश्यकता हुई।

धारा 14 यह कि वाद का मूल कारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दी जाने वाली धमकी कर देने बेदखल, वादिनी खोद लेने नींव, कर लेने नव निर्माण, बदल देने नवइयत, व काट देने दरख्तान, दिनांक 18/8/2020 को न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ। जिसकी सुनवायी का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

13/8/20

न्यायालय श्रीमान शिविल जज महोदय,  
गीता बनम किशनलाल आदि साठवार संख्या / 20 ता 10 पीपी  
प्र 0 ख 0 कक्ष सं 015 सुलतानपुर।

धारा 15 यह कि मालियत दावा हाजा बगरज समात अदालत हाजा विवादित आराजी की वेशकीमती जमीन है जिसमें वादिनी के हौदिया व दरख्तान आदि स्थित है जिसकी मालियत पांच लाख बीस हजार रुपए कायम की जाती है चूंकि दावा हुकुम इम्तिनाई दवामी का है इसलिए अधिकतम न्यायशुल्क मुवलिग 500 रुपए वास्ते सुनवायी अदा की जा रही है।

### याचना

अ: डिक्री हुकुम इम्तिनाई दवामी वहक वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2, खिलाफ प्रतिवादीसंख्या1 इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादीसंख्या1 को सदा सर्वदा के लिए मना कर दिया जावे कि विवादित आराजी में किसी प्रकार से नवनिर्माण न करें न ही नींव खोदे न ही दरख्तान को काटे न ही वादिनी व उसके पति प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या2 को उसके कब्जा व दखल से हटावे तथा न ही मौके की नवइयत बदले न ही जानवरान की हौदिया हटावे न ही ऐसा कोई भी काम प्रतिवादीसंख्या1 करें जिससे वादिनी व प्रतिवादी संख्या2 के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में किसी भी प्रकार से बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न होवे।

(ब) खरचा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी संख्या1 से दिलायी जावे।

(स) अन्य याचना जो जरिए अदालत वादिनी व प्रतिवादी संख्या2 को विरुद्ध प्रतिवादीसंख्या1 मिल सकती हो प्रदान की जावे।

सराहत जायदाद निजायी स्थित ग्राम हीरापुर मरगना आसल तहसील व जिला अमेठी मुन्दर्जे नक्शा नजरी बरंग सुर्ख अक्षर अ ब स द विवादित आराजी की लम्बाई उत्तर-दक्षिण 51फिट व चौड़ाई पूरब-पश्चिम 27फिट स्थित है उक्त विवादित आराजी की चौहददी पूरब अहाता वादिनी व प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2 वादहू मकान महात्मा

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय,  
गीता बनाम किशनलाल आदि साठवां संख्या /20 ता००३०  
प्र०२०० क० सं०१५ सुलतानपुर।

प्रसाद तिवारी पश्चिम मकान वादिनी व प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या  
2 वादहू इण्टरलॉकिंग मार्ग उत्तर कच्चा रास्ता वादिनी वादहू मकान  
शोभनाथ यादव दक्षिण खाली जमीन वादहू मकान प्रतिवादी संख्या 1  
मुन्दर्जे नक्शा नजरी जुजो अर्जी दावा।

मैं वादिनी स्वयं तस्दीक करती हूँ कि वादपत्र  
की धारा 1 त15 याचना के सत्य होने का  
विश्वास करती हूँ ईश्वर मेरी मदद करें तस्दीक  
स्थान अहाता कचेहरी परिसर, जनपद  
सुलतानपुर।

दिनांक: 26-8-20  
21

गीता द्वारा R. S. Red  
अधिवक्ता

गीता प्रार्थिनी  
श्रीमती गीता  
.....वादिनी  
दिनांक 21-8-20

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय,  
गीता वनाम किशनलाल आदि सा0वाद संख्या / 20 ता0पं०  
प्र0ख0 कक्ष सं015 सुलतानपुर।



न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं0-15  
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- 950/20

बनाम वि. श. नमर

दिनांक 27/9/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ ।  
अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो । वाद दिनांक 27/9/20 को  
वास्ते बयान तहरीरी एवं दिनांक 05/10/20 को वास्ते विरचित किये जाने  
वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे ।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),  
कक्ष सं0-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्द्रोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2  
जा0दी0 ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 प्रस्तुत किया  
गया ।

नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

27/09/20  
(संदीप कुमार)  
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15  
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-950/2020  
गीता देवी-बनाम-किशनलाल आदि।

दिनांक-27.08.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादिनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुलोप हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिनी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप सं सुना। पत्रावली को अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र मकान संख्या 31/37 को अपना व प्रतिवादी संख्या 02 की मकान व आबादी रोहन की भूमि होना कहा है। वादिनी ने यह भी कथन किया है कि विवादित भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। वह जबरदस्ती वाद भूमि पर कब्जा करना चाहता है। वादिनी ने अपने कथन के समर्थन में सूची 9ग1/1 से प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर कागज संख्या 10ग1/1, आधार कार्ड की छायाप्रति 11ग1/1 प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत नक्शा वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद भूमि मकान वादिनी 31/37 व रोहन वादिनी के बीच में स्थित भूमि है। वाद भूमि के बावत वादिनी का प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। अतः ऐसे में यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जाता है और इस दौरान प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वाद भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया जाता है तो वादिनी का वाद लाने का मकराद ही विफल हो जायेगा। अतः न्याय हित में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**आदेश**

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाए रखे। वादिनी आदेश 39 नियम 3 सि0 प्र0 सं0 का अनुपालन करे। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 27.09.2020 को पेश हो।

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15  
सुलतानपुर।

**प्रार्थना पत्र 7ग2**

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या गय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15  
सुलतानपुर।

21-09-20 - 2-यमक 2-दिया 1-

20-09-20 - पुनः का वाई उमरुं  
अधिकतम के मोरि के तारीख  
का उन्वजा है।

दि - 05-10-20 को  
वाले अणके उमरुं के है।  
T-1. निरु सिद्धि कड प्रशक्ति

05-10-20

C-10/15

पुनः का वाई उमरुं

दि - 01-12-20 को

वाले अणके उमरुं के है।  
T-1. प्रशक्ति

C-10/15

01-12-20

पुनः का वाई उमरुं  
शुद्ध प्रभाव है।

दि - 21-01-21 को  
वाले अणके उमरुं के है।  
T-1. प्रशक्ति

C-10/15

21-01-21

पुनः का वाई उमरुं

दि - 13-04-21 को वाले  
अणके उमरुं के है।

T-1. प्रशक्ति

13-04-21

पुनः का वाई उमरुं

दि - 27-07-21 को वाले  
अणके उमरुं के है।  
T-1. प्रशक्ति

27/07

01/12-20  
(वाले वाले)

01  
12  
20

21  
01

